न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0 133/1991
गुरूदत्त बनाम पुद्दन

<u>23.01.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर सायल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 28क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 28क2 सायल द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 3 पूर्णमासी पुत्र जग्गू का देहान्त दिनांक 27.01.2016 को हो गया है। उनके विधिक एवं जायज वारिस उनके पुत्र विक्रम हैं। ऐसी दशा में मृतक के बाबत प्रकीर्ण वादपत्र में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

विपक्षी द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 28क2 प्रतिवादी सं0 3 पूर्णमासी का देहान्त दिनांक 27.01.2016 को हो जाने की स्थिति में वरासत कार्यवाही किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। मृतक के विधिक वारिस जरिए वकालतन हाजिर हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 28क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 28क2 स्वीकार किया जाता है। सायल आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली दिनांक 16.02.2018 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती